संख्या- 36 /2023/1915/ 009-01-KGY-2023-24

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में " कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत अवगत कराना है कि प्रदेश के नगर निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की गयी हैं। शासन द्वारा काजी हाउस/गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत" उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 134 नगर निकायों में संचालित पशु शेल्टर होम्स/गौशाला मे रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-29/2023/902/001-01-केजीवाई-2023-24, दिनांक 30-05-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम 06 माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2024 तक) के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अतएव निम्नलिखित 134 नगर निकायों में संचालित पशु शेल्टर होम्स/गौशाला मे रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार **कुल रू. 1501.15 लाख (रू0 पंद्रह करोड़ एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 30/- प्रति पशु/प्रति दिन की दर से आगामी छः माह (अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 तक) हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1.	सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद, सुल्तानुपर	7.14
2.	सुल्तानपुर	नगर पंचायत, दोस्तपुर	0.55
3.	सुल्तानपुर	नगर पंचायत, कोइरीपुर	1.65
4.	सुल्तानपुर	नगर पंचायत, लम्भुआ	6.37
5.	सुल्तानपुर	नगर पंचायत, कादीपुर	4.12
6.	मुरादाबाद	नगर पंचायत, उमरी कलां	5.98
7.	उन्नाव	नगर पंचायत, हैदराबाद	8.51
8.	उन्नाव	नगर पंचायत, पुरवा	5.76
9.	उन्नाव	नगर पंचायत, औरास	10.04
10.	मैनपुरी	नगर पंचायत, ज्योतिखुड़िया	3.84
11.	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद, मैनपुरी	43.37

12.	पीलीभीत	नगर पालिका परिषद, पूरनपुर	1.65
13.	पीलीभीत	नगर पालिका परिषद, बीसलपुर	5.22
14.	पीलीभीत	नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर	8.24
15.	पीलीभीत	नगर पंचायत, कलीनगर	8.45
16.	पीलीभीत	नगर पंचायत, बिलसण्डा	3.95
17.	पीलीभीत	नगर पंचायत, बरखेड़ा	4.61
18.	भदोही	नगर पालिका परिषद, भदोही	16.91
19.	बांदा	नगर पालिका परिषद, बांदा	7.14
20.	बांदा	नगर पालिका परिषद, अतर्रा	14.82
21.	बांदा	नगर पंचायत, बबेरू	2.53
22.	बांदा	नगर पंचायत, नरैनी	5.82
23.	बांदा	नगर पंचायत, तिंदवारी	13.07
24.	बांदा	नगर पंचायत, बिसण्डा	5.33
25.	बांदा	नगर पंचायत, ओरन	5.44
26.	बाँदा	नगर पंचायत, मटौंध	16.47
27.	अयोध्या	नगर पालिका परिषद, रूदौली	6.59
28.	अयोध्या	नगर पंचायत, बीकापुर	5.49
29.	अयोध्या	नगर पंचायत, गोशाईगंज	5.38
30.	अमेठी	नगर पालिका परिषद, गौरीगंज	1.92
31.	अमेठी	नगर पालिका परिषद, जायस	1.10
32.	अमेठी	नगर पंचायत, अमेठी	10.98
33.	झाँसी	नगर पालिका परिषद, मऊरानीपुर	28.71
34.	झाँसी	नगर पंचायत, टोडी फतेहपुर	13.73
35.	झाँसी	नगर पंचायत, एरच	16.47
36.	झाँसी	नगर पालिका परिषद, चरगाँव	3.84
37.	श्रावस्ती	नगर पंचायत, इकौना	0.88
38.	रायबरेली	नगर पालिका परिषद, रायबरेली	2.03
39.	रायबरेली	नगर पंचायत, महाराजगंज	10.98
40.	रायबरेली	नगर पंचायत, बछरावाँ	17.01
41.	रायबरेली	नगर पंचायत, डलमऊ	15.26
42.	रायबरेली	नगर पंचायत, ऊचाँहार	13.45
43.	रायबरेली	नगर पंचायत, सलोन	7.69
44.	रायबरेली	नगर पंचायत, परशदेपुर	13.67
45.	कानपुर नगर	नगर पालिका परिषद, घाटमपुर	3.13
46.	कानपुर नगर	नगर पालिका परिषद,बिल्हौर	0.99
47.	कानपुर नगर	नगर पंचायत, बिठूर	8.95
48.	कानपुर नगर	नगर पंचायत, शिवराजपुर	6.70
49.	फर्रूखाबाद	नगर पंचायत, मोहम्मदाबाद	5.22
50.	फर्रूखाबाद	नगर पालिका परिषद, फर्रूखाबाद	31.29
51.	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद	13.83
52.	फिरोजाबाद	नगर पंचायत, जसराना	3.29
53.	फिरोजाबाद	नगर पंचायत, फरिहा	4.50
54.	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद, सिरसागंज,	22.50
55.	इटावा	नगर पालिका परिषद, भरथना	9.88
56.	इटावा	नगर पालिका परिषद, जसवंतनगर	3.46
57.	इटावा	नगर पालिका परिषद, इटावा	15.15
58.	चित्रकूट	नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी	27.66
59.	अम्बेडकरनगर	नगर पालिका परिषद, अकबरपुर	6.31
60.	अम्बेडकरनगर	नगर पालिका परिषद, टाण्डा	2.20
61.	अम्बेडकरनगर	नगर पालिका परिषद, जलालपुर	2.64

62.	अम्बेडकरनगर	नगर पंचायत, इल्तिफातगंज	3.02
63.	मथुरा	नगर पंचायत, सौख	3.95
64.	मथुरा	नगर पंचायत, बल्देव	6.86
65.	मथुरा	नगर पंचायत, गोकुल	7.14
66.	मथुरा	नगर पंचायत, राया	2.20
67.	मथुरा	नगर पंचायत, छाता	6.86
68.	मथुरा	नगर पंचायत, चौमुहा	5.49
69.	मथुरा	नगर पंचायत, फरह	3.29
70.	बहराइच	नगर पालिका परिषद, बहराइच	10.43
71.	बहराइच	नगर पालिका परिषद, नानपारा	9.33
72.	बहराइच	नगर पंचायत, रिसिया,	2.09
73.	बहराइच	नगर पंचायत, जरवल	1.65
74.	गौतमबुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद, दादरी	14.27
75.	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत, जेवर	13.34
76.	महाराजगंज	नगर पालिका परिषद, महाराजगंज	5.16
77.	महाराजगंज	नगर पंचायत, निचलौल	1.37
78.	महाराजगंज	नगर पंचायत, घुघली	0.60
79.	मीरजापुर	नगर पंचायत, कछवा	6.86
80.	मीरजापुर	नगर पालिका परिषद, चुनार	0.99
81.	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, अमरोहा	3.95
82.	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, हसनपुर	20.31
83.	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, घनौरा	7.91
84.	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, बछरायू	2.53
85.	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, गजरौला	14.11
86.	अमरोहा	नगर पंचायत, जोया	3.57
87.	जालौन	नगर पालिका परिषद, उरई	19.22
88.	जालौन	नगर पंचायत, नदीगांव	28.00
89.	कानपुर देहात	नगर पालिका परिषद, झींझंक	13.34
90.	कानपुर देहात	नगर पालिका परिषद, पुखराया	9.88
91.	कानपुर देहात	नगर पंचायत, शिवली	13.73
92.	कानपुर देहात	नगर पंचायत, रनियाँ	10.38
93.	कानपुर देहात	नगर पंचायत, अकबरपुर	52.23
94.	कानपुर देहात	नगर पंचायत, रसूलाबाद	16.47
95.	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, मुरादनगर	11.42
96.	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत, बिस्कोहर	9.06
97.	बाराबंकी	नगर पंचायत, रामनगर	6.04
98.	लखनऊ	नगर पंचायत, मोहनलालगंज	18.50
99.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, जहांगीराबाद	15.65
100.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, सिकान्द्राबाद	13.07
101.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, खुर्जा	10.10
102.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, स्याना	14.27
103.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, पहासू	6.53
104.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, छतारी	2.53
105.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, औरंगाबाद	10.21
106.	लखीमपुरखीरी	नगर पंचायत, सिंगाही भेडौरा	4.39
107.	बदायूँ	नगर पंचायत, रूदायन	6.04
108.	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	10.98
109.	हमीरपुर	नगर पालिका परिषद, राठ	13.73
110.	हमीरपुर	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	10.38

111.	हमीरपुर	नगर पंचायत, सुमेरपुर	23.88
112.	देवरिया	नगर पालिका परिषद, देवरिया	6.04
113.	देवरिया	नगर पालिका परिषद, गौराबरहज	12.74
114.	देवरिया	नगर पंचायत, मझौली राज	11.86
115.	देवरिया	नगर पंचायत, सलेमपुर	2.09
116.	देवरिया	नगर पंचायत, लार	6.26
117.	कन्नौज	नगर पंचायत, सिकन्दरपुर	27.45
118.	कन्नौज	नगर पंचायत, तिर्वागंज	12.08
119.	ललितपुर	नगर पालिका परिषद, तालबेहट	15.37
120.	ललितपुर	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	59.07
121.	ललितपुर	नगर पंचायत, महरौनी	16.96
122.	प्रतापगढ़	नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़	14.49
123.	प्रतापगढ़	नगर पंचायत, सुवंशा बाजार	8.24
124.	हरदोई	नगर पंचायत, बेनीगंज	11.80
125.	हरदोई	नगर पंचायत, गोपामऊ	11.53
126.	हरदोई	नगर पालिका पंचायत, सण्डीला	19.49
127.	महोबा	नगर पालिका परिषद, महोबा	35.79
128.	महोबा	नगर पालिका परिषद,चरखारी	28.16
129.	महोबा	नगर पंचायत, कुलपहाड़	26.79
130.	महोबा	नगर पंचायत, कबरई	34.37
131.	महोबा	नगर पंचायत, खरेला	40.74
132.	एटा	नगर पंचायत, जैथरा	9.33
133.	एटा	नगर पंचायत, राजा का रामपुर	6.04
134.	हापुड़	नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर	17.29
		योग	1501.15

(रू0 पंद्रह करोड़ एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धः-

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित तालिका में उल्लिखित निकायों से वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम 06 माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक) के लिए अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 01 सप्ताह में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया जायेगा। अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा संबंधित निकायों को धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा उक्त शर्त का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(5) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आपहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(7) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सबंधित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय का होगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(13) यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अवमुक्त की जा रही धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिये निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,01,15,000 (रू0 पंद्रह करोड़ एक लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 26-09-2023 18:07:11
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-36 /2023/ 19150/009-01-KGY-2023-24, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

(7) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सबंधित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय का होगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(13) यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अवमुक्त की जा रही धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिये निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,01,15,000 (रू0 पंद्रह करोड़ एक लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-36 /2023/ 1915(1)/009-01-KGY-2023-24, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 26-09-2023 18:08:42
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।